झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र सं0–विधि/ विविध/04/04/2010– 918 रॉची, दिनांक–26/02/2010

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी ।

विषय :– वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों तथा पारित न्यायादेशों का ससमय अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची एवं अन्य राज्य उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयों के गहन अवलोकनोपरांत यदि मामला एल0पी0ए0/ एस0एल0पी0 दायर के योग्य नहीं प्रतीत होता है, तो वैसे मामले में माननीय न्यायालय के निर्णयों का समय–सीमा के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय।

2. यदि मामला माननीय उच्च न्यायालय/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है तो अपील दायर करने की स्थिति में समय–सीमा के अंदर अपील दायर करने की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जाए ।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय में एल0 पी0 ए0 दायर करने की अधिकतम समय–सीमा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की समय–सीमा 90 दिनों की है।

3. तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका की प्रति ससमय प्राप्त कर कंडिकावार तथ्य विवरणी तैयार कर वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त(प्र0) से अनुमोदन प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है।

यदि वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त(प्र0) यह समझते हैं कि प्रसंगाधीन मामला नीतिगत है तब संबंधित अंचल के नोडल पदाधिकारी को विशेष दूत के रूप में प्राधिकृत/ प्रतिनियुक्त कर मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करके ही माननीय उच्च न्यायालय में/ सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित न्याय प्रति आदेश पारित होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित अंचल प्रभारी द्वारा प्राप्त कर इसकी सूचना विभाग को अनिवार्य रूप से दी जाए।

4. माननीय उच्च न्यायालय में एल0 पी0 ए0 अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 दायर करने हेतु संबंधित अंचल प्रभारी तथ्य विवरणी तैयार कर न्यायादेश पारित होने के 15 दिनों के अंदर स्वयं वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त(प्र0) के अनुमोदनोपरांत सक्षम पदाधिकारी/ नोडल पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यालय में उपलब्ध करायें । एल0पी0ए0/ एस0एल0पी0 ससमय दायर होने तक संबंधित अंचल प्रभारी/संबंधित वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) द्वारा इसकी निगरानी एवं मोनिटरिंग करना भी अपेक्षित है।

5. वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत वरीय पदाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0/ एस0एल0पी0 का प्रतिशपथ पत्र दायर करेंगे।

कृत कार्रवाई की प्रति ससमय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. माननीय उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कर वापसी संबंधित न्याय–निर्णय/ अन्य निदेश के अनुपालन/समायोजन के लिए मुख्यालय की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

इसके लिए अंचल प्रभारी/ वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त(प्र0) ससमय सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए आवेदन/अंचल के नोडल पदाधिकारी को विशेषदूत के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे एवं आवश्यक निदेश प्राप्त करेंगे ।

7. विभाग में मनोनीत नोडल पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय के मामलों सरकारी अधिवक्ता से संपर्क कर सप्ताह के अंतिम दिन सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग को स्थिति से अवगत करायेंगे।

विभागीय नोडल पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि माननीय न्यायालय में दायर मामलों एवं संबंधित मामलों पर ससमय प्रति शपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करे।

8. माननीय न्यायालयों में लंबित मामले मे अंचल प्रभारी शीघ्र सुनवाई हेतु महाधिवक्ता से संपर्क कर पूरक शपथ पत्र/आई0ए0 दायर करेंगे।

9. माननीय उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों की सुनवाई के समय अंचल प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

10. वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण में दाखिल पुनरीक्षण वादों के प्रतिशपथ पत्र दायर करने के पूर्व संबंधित पैनल अधिवक्ता से अवश्य विधिक्षित करायें ।

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण से संपर्क कर मामले विशेष में पैनल अधिवक्ता का नाम प्राप्त कर प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे ।

ऐसे सभी मामलों में विभागीय प्रतिनिधित्व हेतु विभागीय पदाधिकारी का मनोनयन आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि न्यायालीय जटिलताओं को टालने के लिए उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालन न होने की स्थिति में संबंधित वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0)/ संबंधित अंचल प्रभारी/ संबंधित पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना जायेगा।

विश्वासभाजन

18.2.10

सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, रॉची।